62

पत्रांक–2/न०वि०/स्था० व्यय/पदा० वेतन/न०पं०/117/2018–62

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–20/06/18

विषय:– वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय मद से राज्य के 08 नगर पंचायतों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियंताओं के वेतनादि मद में नगर निकायों से प्राप्त मांग के आलोक में कुल रू० 1,44,95,224/- (एक करोड़ चौवालीस लाख पन्चानवे हजार दो सौ चौबीस रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना मद से राज्य के 08 नगर पंचायतों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियंताओं के वेतनादि मद में नगर निकायों से प्राप्त मांग के आलोक में कुल रू० 1,44,95,224/- (एक करोड़ चौवालीस लाख पन्चानवे हजार दो सौ चौबीस रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

क्र०	निकाय का नाम	अधियाचित राशि	कोषागार/उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	कोडरमा नगर पंचायत	1,200,000	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी
2	बुण्डू नगर पंचायत	1,000,000	राँची	
3	खूँटी नगर पंचायत	1,218,387	खूँटी	
4	बासुकीनाथ नगर पंचायत	1,406,805	दुमका	
5	जामताड़ा नगर पंचायत	2,039,563	जामताड़ा	
6	सरायकेला नगर पंचायत	1,186,380	सरायकेला	
7	लातेहार नगर पंचायत	897,468	लातेहार	
8	जमशेदपुर अ.क्षे.स.	5,546,621	जमशेदपुर	
	कुल:–	**14,495,224**		

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना मद के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–193–नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–उपशीर्ष–40–शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड–48S221780193400646) के अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि 302.97 लाख से की जायेगी।

D:Arun_Vinay-Establishment_ Off Salary_2018-19_6

3. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में निकाय के नाम के सम्मुख स्तंभ–V में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ–IV में अंकित कोषागार/उपकोषागार से विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि विभाग के स्तर से पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी एवं अभियंताओं के वेतनादि के लिए है, जिनका पदस्थापन स्वीकृत पद के विरूद्ध किया गया है। विभाग स्तर से संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को उक्त स्वीकृत राशि से इस शर्त्त पर वेतन देय होगा कि संबंधित अभियंता के नियुक्ति पत्र में वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से किये जाने का प्रावधान किया गया हो।

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
1	कोडरमा नगर पंचायत	58/20.06.16	1,949,399	1,949,399
2	बुण्डू नगर पंचायत	317/20.02.17	635,748	635,748
3	खूँटी नगर पंचायत	58/20.06.16	521,664	521,664
4	बासुकीनाथ नगर पंचायत	386/22.03.17	320,856	320,856
5	जामताड़ा नगर पंचायत	247/09.01.17	888,124	888,124
6	सरायकेला नगर पंचायत	116/19.08.16	429,884	429,884
		247/09.01.17	219,027	219,027
7	लातेहार नगर पंचायत	58/20.06.16	884,756	884,756
8	जमशेदपुर अ.क्षे.स.	58/20.06.16	2,544,024	2,544,024

62 20/06/18

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत् निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०–2561/वि०, दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम–संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत अनुदान राशि से संबंधित निकाय के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी एवं अभियन्ता के वेतनादि (यात्रा भत्ता सहित), बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा और वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत राशि अवशेष रह जाती है, तो उसे ससमय प्रत्यर्पित किया जायेगा।

9. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

10. संबंधित निकाय के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगे। साथ ही निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात नियमानुसार व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

D:Arun_Vinay-Establishment_ Off Salary_2018-19_7

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/न०वि०/स्था० व्यय/पदा० वेतन/न०पं०/117/2018–62 राँची, दि०–20/06/18

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल/संथाल परगना, दुमका/कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, कोडरमा/राँची/खुँटी/देवघर/जामताड़ा/सरायकेला–खरसांवा/लातेहार/पूर्वी सिंहभूम/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/राँची/खूँटी/दुमका/जामताड़ा/सरायकेला/लातेहार एवं जमशेदपुर/कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी, कोडरमा नगर पंचायत/बुण्डू नगर पंचायत/खूँटी नगर पंचायत/बासुकीनाथ नगर पंचायत/जामताड़ा नगर पंचायत/सरायकेला नगर पंचायत/लातेहार नगर पंचायत एवं जमशेदपुर अ. क्षे.स./अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

D:Arun_Vinay-Establishment_Off Salary_2018-19_8